

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख: 15 जुलाई, 2024

का.आ. (अ).- केंद्रीय सरकार, कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 405 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनिर्दिष्ट कंपनी (सूक्ष्म और लघु उद्यम प्रदायकर्ताओं को संदाय के संबंध में जानकारी देना) आदेश, 2019 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है: -

1. (1) इस आदेश का नाम विनिर्दिष्ट नाम कंपनी (सूक्ष्म और लघु उद्यम प्रदायकर्ताओं को संदाय के संबंध में जानकारी देना) संशोधन आदेश, 2024 है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. विनिर्दिष्ट कंपनी (सूक्ष्म और लघु उद्यम प्रदायकर्ताओं को संदाय के संबंध में जानकारी देना) आदेश, 2019 में (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त आदेश कहा गया है),-

(i) पैरा 3 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

"परंतु यह कि एमएसएमई प्ररूप -1 में केवल उन विनिर्दिष्ट कंपनियों द्वारा जानकारी प्रदान की जाएगी, जिनके पास सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 (2006 का 27) की धारा 9 के अधीन वस्तुओं या सेवाओं की स्वीकृति की तारीख या इनकी मानित स्वीकृति की तारीख से 45 दिन से अधिक समय के लिए किसी सूक्ष्म या लघु उद्यम को संदाय लंबित है।

(ii) अनुलग्नक में, एमएसएमई प्ररूप-1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात्:-

एमएसएमई प्ररूप-1

प्ररूप की भाषा

● अंग्रेजी

हिंदी

सूक्ष्म या लघु उद्यमों को बकाया संदाय के संबंध में रजिस्ट्रार के पास अर्ध-वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने के लिए प्ररूप



[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 405 के अधीन जारी आदेश

2 और 3 तारीख 22 जनवरी, 2019]

प्ररूप भरने के लिए अनुदेश किट देखें

* चिह्नित सभी क्षेत्र अनिवार्य हैं

कंपनी की जानकारी

1 (क) *कारपोरेट पहचान संख्या (सीआईएन)/विदेशी कंपनी रजिस्ट्रीकरण संख्या (एफसीआरएन)

(ख) *कंपनी का नाम

(ग) *कंपनी के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता

(घ) *कंपनी की ईमेल आईडी

(ङ) *कंपनी का स्थायी खाता संख्या (पैन)

विवरणी का विवरण

2 (क) *रिटर्न का प्रकार

आवधिक अर्ध-वार्षिक रिटर्न

(ब) *अवधि

प्रारंभ तिथि (दिन/माह/वर्ष)

समाप्ति तिथि (दिन/माह/वर्ष)

3 सूक्ष्म या लघु उद्यम प्रदायकर्ताओं को बकाया देय राशि (45 दिनों से अधिक) का नियमित अर्ध-वार्षिक रिटर्न।

नोट - कृपया उन सभी बकाया राशि की रिपोर्ट करें जो 45 दिनों से अधिक समय से देय हैं या जो वस्तु / सेवा की स्वीकृति के 45 दिनों के बाद समाप्त हो गई थीं

(एमएसई) प्रदायकर्ताओं के नाम और देय भुगतानों की राशि का विवरण:

(क) क्र.सं.	(ख) एमएसई प्रदायकर्ता का नाम	(ग) प्रदायकर्ता का पैना	(घ) 45 दिनों के भीतर किया गया भुगतान				(ङ) 45 दिनों के बाद किया गया भुगतान		(च) 45 दिनों या उससे कम के लिए बकाया		(छ) 45 दिनों से अधिक के लिए बकाया		(ज) भुगतान में देरी का कारण / बकाया राशि
			टीआरईडीएस के माध्यम से (i)		भुगतान के अन्य तरीके (ii)		सं.	राशि (रु.)	सं.	राशि (रु.)	सं.	राशि (रु.)	
			सं.	राशि (रु.)	सं.	राशि (रु.)							
	कुल												

एक्सेल टेम्पलेट डाउनलोड करें

एक्सेल से आयात करें

संलग्नक

वैकल्पिक संलग्नक - यदि कोई हो

फाइल चुनें

हटाएं

डाउनलोड

घोषणा

यह एतद्वारा घोषित किया जाता है कि प्ररूप और संलग्नक में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान के साथ सत्य और सही है।

*डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित

डीएससी बॉक्स

*पदनाम

(निदेशक/प्रबंध निदेशक/प्रबंधक/कंपनी सचिव/सीएफओ/सीईओ/प्राधिकृत प्रतिनिधि)

*निदेशक या प्रबंध निदेशक की निदेशक पहचान संख्या; या डीआईएन या पैना

प्रबंधक या सीईओ या सीएफओ या प्राधिकृत प्रतिनिधि; या कंपनी सचिव की सदस्यता संख्या

सेव करें

जमा करें

टिप्पणी : कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 405 की उपधारा 4 के उपाबंध की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें किसी भी ऐसी सूचना या सांख्यिकी के लिए दंड का प्रावधान है जो किसी भी सामग्री के संबंध में गलत या अपूर्ण है।

यह ई-प्ररूप इलेक्ट्रॉनिक मोड के माध्यम से कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा रखी गई फाइल पर और कंपनी द्वारा दिए गए शुद्धता के बयान के आधार पर लिया गया है।

केवल कार्यालय उपयोग हेतु:

ई-प्ररूप सेवा अनुरोध संख्या (एसआरएन)

ई-प्ररूप फाइल दाखिल करने की तिथि (दिन/माह/वर्ष)

फा.सं. 17/6/2017-सीएल-V]

मनोज पाण्डेय
(मनोज पाण्डेय)

अपर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण: मूल आदेश, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 368(अ), तारीख 22 जनवरी, 2019 के द्वारा प्रकाशित किया गया था।

[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY,
PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (II)]

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th July, 2024

S.O.(E).__ In exercise of the powers conferred by section 405 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Specified Companies (Furnishing of information about payment to micro and small enterprise suppliers) Order, 2019 namely:

1. (1) This Order may be called the Specified Companies (Furnishing of information about payment to micro and small enterprise suppliers) Amendment Order, 2024.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Specified Companies (Furnishing of information about payment to micro and small enterprise suppliers) Order, 2019 (herein after referred to as the said order),-

(i) in paragraph 3, the following proviso shall be inserted, namely:-

“Provided that only those specified companies which are having payments pending to any micro or small enterprises for more than 45 days from the date of acceptance or the date of deemed acceptance of the goods or services under section 9 of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006) shall furnish the information in MSME Form-1.”

(ii) in Annexure, for MSME Form-1, the following form shall be substituted, namely: -



Form language



English

Hindi

MSME Form I

Form for furnishing half yearly return with the registrar in respect of outstanding payments to Micro or Small Enterprises

[Pursuant to Order 2 and 3 dated 22 January, 2019 issued under

Section 405 of the Companies Act, 2013]

Refer instruction kit for filing the form

*All fields marked in * are mandatory*

Company Information

1 (a) *Corporate Identity Number (CIN)/ Foreign Company Registration Number (FCRN)

(b) *Name of the Company

(c) *Address of the registered office of the company

(d) *Email ID of the company

(e) *Permanent Account Number (PAN) of the company

Return Details

2 (a) *Type of Return

Periodic Half-yearly return

(b) *Period

Start Date (DD/MM/YYYY)

End Date (DD/MM/YYYY)

3 Regular half yearly return of outstanding dues (more than 45 days) to Micro or Small Enterprises Suppliers.

Note - Please report all outstanding amount that are due for more than 45 days or were liquidated after 45 days of acceptance of goods/service

Particulars of the name of (MSEs) suppliers and amount of payments due:

(a) S.No.	(b) Name of MSE Supplier	(c) PAN of the Supplier	(d) Paid within 45 days				(e) Paid after 45 days		(f) Outstanding for 45 days or less		(g) Outstanding for more than 45 days		(h) Reason for delay in payment / amount outstanding
			Through TReDS (i)		Other mode of payments (ii)		No.	Amount (Rs.)	No.	Amount (Rs.)	No.	Amount (Rs.)	
			No.	Amount (Rs.)	No.	Amount (Rs.)							
	Total												

[Download excel Template](#)
[Import from Excel](#)

Attachments

Optional attachment(s) - if any

[Choose File](#)
[Remove](#)
[Download](#)

Declaration

It is hereby declared that the information given in the form and attachments are true and correct with the best of my knowledge.

***To be digitally signed by**

DSC BOX

***Designation**

(Director/Managing Director/Manager/Company Secretary/CFO/ CEO/Authorized Representative)

***Director identification number of the director or managing director; OR DIN or PAN of the manager or CEO or CFO or authorized representative; or membership number of the company secretary**

[Save](#)
[Submit](#)

Note: Attention is drawn to provision of sub section 4 of section 405 of the Companies Act, 2013 which provide for punishment for any information or statistics which is incorrect or incomplete in any material respect.

This eForm has been taken on file maintained by the registrar of companies through electronic mode and on the basis of statement of correctness given by the company.

For office use only:

eForm Service request number (SRN)

eForm filing date (DD/MM/YYYY)

F. No. 17/6/2017-CL-V]


(Manoj Pandey)

Additional Secretary to the Government of India

Note:- The Principal order was published in the Gazzette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (ii), vide notification number S.O. 368(E), dated the 22nd January, 2019.